# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0 175 / 2025 | तारीख दायरा 20.11.2025 | तारीख फैसला 10-12-25

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1—रामकन्या बाई पुत्री हीरा,पत्नी सूरजमल जाति बैरवा नि0 मेघवाल बस्ती अरनियां कोटा
2— चन्द्रकान्ती बाई पत्नी स्व० बद्रीलाल जी जाति बलाई निवासी कोटसुंवा हाल बीड के बाला जी के पास कुन्हाडी, कोटा (वादीगण)

बनाम

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती**

**—:: निर्णय ::—**

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1— यह कि ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता स0 418 नया पुराना 389 पर खसरा नम्बर 698 की 1—11 हेक्टर भूमि वादीगण व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी नं० 1 का 1/12 हिस्सा व वादनी नं0 2 का 1/8 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न है।

2— यह कि उपरोक्त भूमि में पूर्व में वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज थी उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादनी नं० 1 का नाम सहवन से कन्या व वादनी नं0 2 का नाम चन्द्रकला दर्ज हो गया जो मलत है।

3— यह कि वादनी नं० 1 का नाम रामकन्या बाई है वादनी नं0 1 के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड में वादनी नं० 1 का नाम रामकन्या बाई दर्ज है। इसी प्रकार वादनी नं0 2 का नाम चन्द्रकान्ती बाई है वादनी नं0 2 के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड में वादनी न0 2 का नाम चन्द्रकान्ती बाई दर्ज है। इस कारण वादी नं० 1 का नाम कन्या पुत्री हीरा के स्थान पर रामकन्या बाई पुत्री हीरा, तथा वादनी नं0 2 का नाम चन्द्रकला पत्नी स्व० बद्री के स्थान पर चन्द्रकान्ती बाई अंकित किया जाना आवश्यक है।

4—यह कि इस सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 10—11—2025 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5— यह कि वाद कारण दिनांक 10—11—2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1– कि ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं० 418 पर दर्ज खसरा नम्बर 698 की 1–11 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी नं० 1 का नाम कन्या के स्थान पर रामकन्या बाई तथा वादनी न0 2 का नाम चन्द्रकला के स्थान पर चन्द्रकान्ती बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1. नकल जमाबन्दी सवंत् 2075–2078 ग्राम कोटसुवा खाता सं0नया 418
2. नकल छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र
3. नकल छाया प्रति पेन कार्ड
4. नकल छाया प्रति आधार कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया की कन्या पुत्री हीरा व रामकन्या पुत्री हीरा चन्द्रकला पत्नि स्व0 बद्रीलाल व चन्द्रकान्ति बाई पत्नि स्व0 बद्रीलाल एक ही महिला के नाम है।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य में स्वयं वादनी रामकन्या बाई पुत्री हीरा पत्नी सूरजमल जाति बैरवा निवासी कोटा तथा चन्द्रकान्ति बाई पत्नि स्व0 बद्रीलाल जाति बलाई निवासी कोटसुवा हाल निवासी बीड के बालाजी के पास कुन्हाडी कोटा के प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये गये। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादनी न0 1 का नाम कन्या के स्थान पर कन्या उर्फ रामकन्या बाई तथा वादनी न0 2 का नाम चन्द्रकला के स्थान पर चन्द्रकला उर्फ चन्द्रकान्ति बाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता सं० 418 पर दर्ज खसरा नम्बर 698 की 1–11 हेक्टर भूमि में वादनी न0 1 का नाम कन्या के स्थान पर कन्या उर्फ रामकन्या बाई तथा वादनी न0 2 का नाम चन्द्रकला के स्थान पर चन्द्रकला उर्फ चन्द्रकान्ति बाई दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

# मूल वाद में अन्तिम डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

**उनवान**

1—रामकन्या बाई पुत्री हीरा,पत्नी सूरजमल जाति बैरवा नि0 मेघवाल बस्ती अरनियां कोटा

2— चन्द्रकान्ती बाई पत्नी स्व० बद्रीलाल जी जाति बलाई निवासी कोटसुंवा हाल बीड के बाला जी के पास कुन्हाडी, कोटा **(वादीगण)**

**बनाम**

1— राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

**(प्रतिवादी)**

वादी की ओर से — श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती**

**मिसल नं 175/2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता स० 418 पर दर्ज खसरा नम्बर 698 की 1—11 हेक्टर भूमि में वादनी न0 1 का नाम कन्या के स्थान पर कन्या उर्फ रामकन्या बाई तथा वादनी न0 2 का नाम चन्द्रकला के स्थान पर चन्द्रकला उर्फ चन्द्रकान्ति बाई दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 10/12/25 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुदई | रूपये | पैसे | मुदालयह | रूप्ये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद